

जनसत्ता, 23 जून, 2017 11

पूजक के समर्थन में नारे लगाने वालों

प्रस्तावित टर्म लोन से अर्जित की जाने वाली अन्य निर्धारित परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेस (2) सीसी-ट्रस्ट के रिसेविबल, ऑपरेंटिंग कैश प्लोज तथा संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेस।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिए आप 1, मै. सुखमणि शिक्षण संस्थान, द्वारा उसके प्रतिनिधियों (क) सचिव, श्री मनमिन्दर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्दा, तथा (ख) कोषाध्यक्ष, श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह तथा आप सं 2 ने अधोलिखित चल संपत्तियों के संदर्भ में गिरवी द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण

आप 1, मै. सुखमणि शिक्षण संस्थान, द्वारा उसके (क) सचिव, श्री मनमिन्दर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्दा तथा (ख) कोषाध्यक्ष, श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह ने अधोलिखित अचल संपत्तियों के संदर्भ में गिरवी द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:

- 1) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 792, 801, 799, 800, 827, 794 तथा 795, क्षेत्रफल: 0.35526 हेक्टेयरस जिसमें सम्पत्ति सर्वे नं. 792 उत्तर में सर्वे नं. 793, दक्षिण में सर्वे नं. 801 उत्तर में सर्वे नं. 792, दक्षिण में सर्वे नं. 805 एवं 803, पूर्व में सर्वे नं. 799 एवं 800 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 802 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 799 जो उत्तर में सर्वे नं. 794, दक्षिण में सर्वे नं. 800, पूर्व में सर्वे नं. 826 एवं 798 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 801 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 800 जो उत्तर में सर्वे नं. 799, दक्षिण में सर्वे नं. 805, पूर्व में सर्वे नं. 826 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 801 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 827 जो उत्तर में सर्वे नं. 798, दक्षिण में सर्वे नं. 828, पूर्व में सर्वे नं. 828 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 826 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 794 जो उत्तर में सर्वे नं. 795, दक्षिण में सर्वे नं. 798 एवं 799, पूर्व में सर्वे नं. 797 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 793 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 795 जो उत्तर में ग्राम सम्भरपुर की सीमाओं, दक्षिण में सर्वे नं. 794, पूर्व में सर्वे नं. 796 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 793 से घिरा है।
- 2) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 828-एम जिसका क्षेत्रफल: 0.1480 हेक्टेयरस है जो उत्तर में सर्वे नं. 827 एवं 798 दक्षिण में सर्वे नं. 828, पूर्व में सर्वे नं. 841 एवं 840 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 839 एवं 826 से घिरा है,
- 3) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 794 एवं 795 क्षेत्रफल: 0.0792 हेक्टेयरस जिसमें सम्पत्ति सर्वे नं. 794 उत्तर में सर्वे नं. 795, दक्षिण में सर्वे नं. 798 एवं 799 एवं पूर्व में सर्वे नं. 797 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 793 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 795 उत्तर में ग्राम सम्भरपुर की बाउंड्री, पूर्व में सर्वे नं. 796 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 तथा दक्षिण में सर्वे नं. 794 से घिरा है।
- 4) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 792-एम 800 तथा 801, क्षेत्रफल: 0.31575 हेक्टेयरस जिसमें संपत्ति सर्वे नं. 792 एम उत्तर में सर्वे नं. 793, दक्षिण में सर्वे नं. 801 एवं 802, पूर्व में सर्वे नं. 794 एवं 799 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 791 से घिरा है, संपत्ति सर्वे नं. 800, उत्तर में सर्वे नं. 799, दक्षिण में सर्वे नं. 805, पूर्व में सर्वे नं. 826 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 801 से घिरा है। संपत्ति सर्वे नं. 801 जो उत्तर में सर्वे नं. 792, दक्षिण में सर्वे नं. 803 एवं 805, पूर्व में सर्वे नं. 799 एवं 800 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 802 से घिरा है,
- 5) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 799 तथा 827 क्षेत्रफल: 632.50 वर्ग मीटर है जो सर्वे नं. 799 उत्तर में सर्वे नं. 794 दक्षिण में सर्वे नं. 800, पूर्व में सर्वे नं. 798 एवं 826 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 801 से घिरा है, तथा सर्वे नं. 827 उत्तर में सर्वे नं. 798, दक्षिण में सर्वे नं. 828, पूर्व में सर्वे नं. 828 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 826 से घिरा है।
- 6) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 793 क्षेत्रफल: 0.188725 हेक्टेयर जिसमें संपत्ति सर्वे नं. 793, उत्तर में ग्राम सम्भरपुर की बाउंड्री, दक्षिण में सर्वे नं. 792, पूर्व में सर्वे नं. 794 एवं 795, पश्चिम में ग्राम सम्भरपुर की बाउंड्री से घिरा है।
- 7) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 826 क्षेत्रफल: 0.215 हेक्टेयर जिसमें यह संपत्ति उत्तर में 798 एवं 841, दक्षिण में सर्वे नं. 805, पूर्व में सर्वे नं. 829 एवं 828, पश्चिम में सर्वे नं. 800 एवं 799 से घिरा है।
- 8) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 798 एवं 841-एम, क्षेत्रफल: 0.479 हेक्टेयर जिसमें यह संपत्ति सर्वे नं. 798 उत्तर में 794 एवं 797, दक्षिण में सर्वे नं. 826, 827 एवं 828, पूर्व में सर्वे नं. 841 एवं 797, पश्चिम में सर्वे नं. 799 एवं 794 से घिरा है तथा संपत्ति सर्वे नं. 841-एम उत्तर में सर्वे नं. 797, दक्षिण में सर्वे नं. 841 के पार्ट, पूर्व में 18 मीटर रोड, पश्चिम में सर्वे नं. 798 से घिरा है।

आप, 2 ने अधोलिखित अचल संपत्तियों के संदर्भ में गिरवी द्वारा बैंक के पास प्रतिभूति हित का निर्माण किया है: 9) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में उस पर निर्मित सभी भवनों तथा निर्माण के साथ भूमि का सभी भाग एवं हिस्सा, सर्वे नं. 794 एवं 795, क्षेत्रफल: 0.1390 हेक्टेयरस, चौहद्दी उत्तर में दूसरे गांव की सीमा, दक्षिण में सर्वे नं. 798 एवं 799,

KNR CONSTRUCTIONS LIMITED
 CIN: L74210DL1995PLC238364
 Regd. Off: C-125, Anand Niketan, New Delhi - 110021
 Corp. Off: KNR House, 3rd & 4th Floors, Plot No. 114, Phase - I, Kaveri Hills
 Gurgaon - 122002 Phone: +91 40 40268761/62. E-mail: investors@knrcl.com

NOTICE
 For the attention of the Equity Shareholders of the Company
 Mumbai - 400083.

E-mail: investors@knrcl.com

for KNR Constructions Limited
 Sd/-
M. V. VENKATA RAO
 Company Secretary
 Place: Hyderabad
 Date: 22.06.2017

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड
[कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC057377]
 पंजी. कार्यालय: 7 सी, I तल, 'जे' ब्लाक, शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
 टेली. 0120-4193799, 4152766, वेबसाइट: www.pfil.in
 ई-मेल आईडी: parikshadelhi@gmail.com
 24वीं साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एजीएम की सूचना- एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 24वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

24वें एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थित पर्वों की प्रतियां ऐसे सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उसकी भौतिक प्रतियां ऐसे अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के साथ ही साथ सदस्यों को ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया मंगलवार, 20 जून, 2017 को पूरी कर ली है। 24वें एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pfil.in स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-मतदान- यह कंपनी, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2015 द्वारा स्थानापन्न के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए सदस्यों को ई-मतदान की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। ई-मतदान की अवधि मंगलवार, 11 जुलाई, 2017 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 13 जुलाई, 2017 सार्व 5.00 बजे बंद होगी। 13 जुलाई, 2017 के सार्व 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग पद्धति अक्रिय कर दी जाएगी।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा मतपत्र के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के बाद कंपनी का सदस्य बने हों वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admin@skynilneta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान नहीं किए हों, एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि, शुक्रवार, 7 जुलाई, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही ई-वोटिंग के साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा की सूचना में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपना लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए **Frequently Asked Questions (FAQ's)** तथा www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री जी. रामारत्नम, निदेशक, 7 सी, I तल, 'जे' ब्लाक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 से फोन नं. 0120-4193799 पर संपर्क करें अथवा parikshadelhi@gmail.com पर ई-मेल करें।

पुस्तक बंद होना: उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पद्धित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतर्गत पुस्तकें शनिवार, 8 जुलाई, 2017 से शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 (दोनों दिवस सहित) तक इस एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
परीक्षा फिन-इन्वेस्ट लीज लिमिटेड के लिए
 हस्ता./-
 (जी रामारत्नम)
 निदेशक

तिथि: 21 जून, 2017
 स्थान: नई दिल्ली

INDOSOLAR LIMITED
 Regd. Office: C-12, Friends Colony (East),
 New Delhi-110065
 CIN: L18101DL2005PLC134879
 Tel.: 011-26841375, Fax: 011-26843949
 E-Mail: secretarial@indosolar.co.in
 Website: www.indosolar.co.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR
EDUCATION AND PROTECTION FUND

NOTICE is hereby given pursuant to Companies Act, 2013 read along with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules') and (Investor Education and Protection Fund Authority) Act, 2013 and